बिहार कौशल विकास मिशन

सभी प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी,
कुशल युवा कार्यक्रम ।

कुशल युवा कार्यक्रम के व्यापक मांग को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा इसकी पात्रता को और व्यापक बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा इसकी पात्रता में निम्न संशोधन किया गया है :-

1. अब 15-25 वर्ष के वे सभी युवा जो कम से कम 10वीं उत्तीर्ण हों, वे कुशल युवा कार्यक्रम की पात्रता रखते हैं, भले हीं वे इससे आगे कोई भी डिग्री प्राप्त कर चुके हों या अभी उच्चतर शिक्षा में अध्ययनरत हों ।
2. वैसे युवक जिन्होंने स्वयं सहायता भत्ता हेतु आवेदन दिया है, परन्तु उच्चतर शिक्षा में अध्ययनरत होनें या उच्चतर डिग्री प्राप्त किये जाने के आधार पर स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हैं, वे भी कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण ले सकते हैं ।
3. स्वयं सहायता भत्ता के वैसे सभी आवेदक जो उच्चतर डिग्री प्राप्त किये हैं या उच्चतर शिक्षा में अध्ययनरत हैं तथा जिन्होंने कुशल युवा कार्यक्रम के लिए अपना नामांकन करा लिया है वे कुशल युवा का अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर सकते हैं ।
4. सभी प्रशिक्षणार्थियों के बीच इस आशय का व्यापक प्रचार-प्रसार अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें ताकि उच्चतर डिग्री प्राप्त किये नामांकित युवकों के द्वारा कुशल युवा का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सके ।
5. बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा इस आशय का विज्ञापन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जा रहा है ।

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास
मिशन, श्रम संसाधन विभाग,बिहार,पटना